D. C. (South) 28/Dec/10
Date........
Diary No....22099...

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2010/कार्तिक 27, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 199
No. 177] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2010/KARTIKA 27, 1932 [N.C.T.D. No. 199

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-1/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

सं. फा. 13/3/2006/गृ.पु.-1/स्था./3056-3059.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियमावली, 2010 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 16 (xii) (ग) में संशोधन.—दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियमावली, 1980 के नियम 16 के उप-नियम (xii) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) उक्त वर्णित प्रलेखों की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर लिखित में अभ्यावेदन पत्र या अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए दोषी को एक अवसर दिया जाए। अनुशासनिक प्राधिकारी मामले पर निर्णय लेते समय दोषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत ऐसे अभ्यावेदन पत्र/लिखित अनुरोध पर विचार करेंगे।

(घ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, सभी या कुछ आरोपों संबंधी अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर, का मत है कि नियम 5 (1 से 7) में विनिर्दिष्ट कोई दंड पुलिस अधिकारी को दिया जाना चाहिए तो वह ऐसा दंड देने के लिए कोई आदेश देंगे और लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड संबंधी अभ्यावेदन करने का कोई अवसर पुलिस अधिकारी को देना आवश्यक नहीं होगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. बी. शशांक, अतिरिक्त सचिव

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2010

No. F. 13/3/2006/HP-I/Estt./3056-3059.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Punishment and Appeal) Rules, 1980, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Police (Punishment and Appeal) (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 16(xii) (c).—In the Delhi Police (Punishment and Appeal), Rules, 1980, in rule 16, in sub-rule XII for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) Give an opportunity to the accused officer to make a representation or submission in writing within a period of 15 days of the receipt of the above-mentioned documents. The disciplinary authority shall consider such representation/written submission given by the accused officer while deciding the matter, and

(d) If the disciplinary authority, having regard to its finding on all or any of the charges and on the basis of the evidence adduced during the enquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in rule 5 (i to vii) should be imposed on the Police Officer, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Police Officer any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S. B. SHASHANK, Addl. Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

सं. फा. 14/जी.ए./स्था./मं.आ./कानू./09/1582.—दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 84 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल ने दिल्ली भूमि राजस्व नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) ये नियम दिल्ली भूमि राजस्व (संशोधन) नियम, 2010 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम तुरन्त लागू किए जाएंगे ।

2. नियम 261 का लोप.—दिल्ली भूमि राजस्व नियम, 1962 के नियम 261 को लुप्त किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

दीपक मोहन स्पोलिया, प्रधान सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2010

No. F. 14/GA/Estt./Div.Com./Kgo/09/1582.—In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Land Revenue Rules, 1962, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Land Revenue (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force at once.

2. Omission of rule, 261.—In the Delhi Land Revenue Rules, 1962, rule 261 shall be omitted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

D. M. SPOLIA, Pr. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.